रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271819
CG-DL-E-15042026-271819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1841] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948
No. 1841] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

सं. 10 /2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 38 के तहत आने वाली ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों की आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1910(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने तक, आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 38 में आने वाले निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीति और आयात नीतिगत शर्त में संशोधन निम्नानुसार करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड़	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
38089193	ब्रोमोमीथेन (मिथाइल ब्रोमाइड़) या ब्रोमोक्लोरोमीथेन से युक्त	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और ख) यदि प्रति किलोग्राम आधार पर सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
38089199	अन्य	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	(क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और (ख) प्रति किलोग्राम आधार पर, सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
38089361	इस अध्याय की पूरक टिप्पणी 7 और 8 में निर्दिष्ट वस्तुएं	मुक्त	मुक्त	(क) कीटनाशकों का आयात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआइबी एडं आरसी) द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन होगा तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत भी आयात पर रोक नहीं है। (ख) 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' (शुद्धता-न्युनतम 95% भार दर भार) का आयात 'प्रतिबंधित' है: जिसका सीआइएफ मूल्य प्रति किलोग्राम 1289/- रुपये से कम है।	(क) कीटनाशकों का आयात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआइबी एडं आरसी) द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन होगा तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत भी आयात पर रोक नहीं है। (क) यदि प्रति किलोग्राम आधार पर, सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।

				(ग) तथापि ग्लूफोसिनेट और इसके लवणों का आयात प्रति किलोग्राम 1289/- रुपये या उससे अधिक सीआइएफ मूल्य के लिए "मुक्त" है। (घ) उक्त नीतिगत शर्त की समीक्षा अधिसूचना सं. 54/2024 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद की जाएगी।	
38089391	अन्य: ब्रोमोमीथेन (मिथाइल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक से युक्त	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	(क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और (ख) प्रति किलोग्राम आधार पर सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
38089399	अन्य	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	(क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और (ख) प्रति किलोग्राम आधार पर सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
38089912	इस अध्याय की पूरक टिप्पणी 15 और 16 में विनिर्दिष्ट वस्तुए:- इस अध्याय की पूरक टिप्पणी 16 में विनिर्दिष्ट वस्तुएं	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	(क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और (ख) प्रति किलोग्राम आधार पर सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से

					कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
38089991	अन्य:-ब्रोमोमीथेन (मिथाइल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमीथेन युक्त	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	(क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और (ख) प्रति किलोग्राम आधार पर सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।
38089999	अन्य	मुक्त	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अध्यधीन	(क) इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 07 के अधीन; और (ख) प्रति किलोग्राम आधार पर सीआइएफ मूल्य और एंटी डंपिंग शुल्क यदि कोई हो, की संयुक्त राशि प्रति किलोग्राम 1,154 रुपये से कम है तो 'ग्लुफोसिनेट और इसके लवणों' के 0आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव:- आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 38 के एचएस कोड़ों 38089193, 38089199, 38089361, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999 के अंतर्गत आने वाले ग्लुफोस्निेट और इसके लवणों के आयात पर प्रति किलोग्राम आधार पर गणना किए गए सीआइएफ मूल्य और लागू एंटी-डंपिंग शुल्क की संयुक्त राशि 1,154 रुपये से कम होने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा: इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए ऐसा प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/16/एएम-23/पीसी-2[ए]/ई-38206]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRAD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

No. 10 /2026-27

Subject: Amendment in Import Policy of Glufosinate and its salts covered under Chapter 38 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 - reg

S.O. 1910(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the Import Policy and Import Policy Condition of the following ITC(HS) Codes covered under Chapter 38 of ITC (HS) 2022 , Schedule—I (Import Policy), up to six months from the date of publication of this notification, as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
38089193	Containing bromomethane (methyl bromide) or bromochloromethane	Free	Free	Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089199	Other	Free	Free	Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089361	Goods specified in Supplementary Note 7 and 8 to this Chapter	Free	Free	a) The import of the pesticides will be subject to a Certificate of Registration issued by Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and also non prohibition for import	a) The import of the pesticides will be subject to a Certificate of Registration issued by the Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, and also non-prohibition for import under the Insecticides Act, 1968; and

				under Insecticides Act, 1968. b) Import of Gulfosinate and its salts' (Purity - Minimum 95% w/w) is "Restricted: of CIF Value below Rs. 1289/- per Kg. c) However, import of 'Glufosinate and its salts' is "Free" for CIF value of Rs. 1289/- or above per Kg. d) The said Policy condition shall be reviewed after a period of one year w.e.f the date of publication of Notification No. 54/2024	b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089391	Other: ---- Containing bromomethane (methyl bromide) or bromoc	Free	Free	Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089399	Other	Free	Free	Subject to Policy condition no.7 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089912	--- Goods specified in Supplementary Note 15 and 16 to this Chapter: ---- Goods specified in Supplementary Note 16 to this Chapter	Free	Free	Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any,

					on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089991	-- Other: ---- Containing bromomethane (methyl bromide) or bromochloromethane	Free	Free	Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.
38089999	Other	Free	Free	Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter	a) Subject to Policy condition no. 07 of this Chapter; and b) Import of 'Glufosinate and its salts' shall be Restricted if the combined amount of the CIF value and anti-dumping duty, if any, on a per kilogram basis, is less than INR 1,154 per kg.

Effect of the Notification: The import of *Glufosinate and its salts* falling under HS Codes 38089193, 38089199, 38089361, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 and 38089999 of Chapter 38 of Schedule I (Import Policy) of ITC (HS) 2022, shall be R**estricted** where the combined amount of the CIF value and applicable anti-dumping duty, calculated on a per kilogram basis, is less than INR 1,154; such restriction shall be operative for a period of six months from the date of publication of this notification.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry

[F. No. 01/89/180/16/AM-23/PC-2[A]/e-38206]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.15 22:22:57 +05'30'